न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

रिव्यू प्रकरण संख्या : 21/2017

RCms Case No. 2017/00280

प्रार्थी:–

1. सुनिता धुपड पुत्री वेदवृत सबरवाल निवासी जयपुर हाल निवासी एन.डब्ल्यु. कालगेरी ए.बी. कनाडा जरिये आम मुख्तियार हरिशचन्द्र पुत्र ईश्वर गौड़ जाति ब्राहम्ण निवासी आदर्श नगर तहसील मारवाड जंक्शन

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. सतवीरसिंह पुत्र श्री रामाकिशन जाति जाट निवासी एफ.सी.आई. गोदाम के पास, मारवाड जंक्शन जिला पाली
2. ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन जरिये सरपंच

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री योगेश शर्मा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 10/4/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 07/2015 सुनिता धुपड बनाम सतवीरसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जैर पुनर्विलोकनाधीन रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी निगरानी में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे के संलग्न प्रस्तुत नक्शे में कोई भी भूखण्ड संख्या अंकित नहीं होना तथा वर्श 1964 में प्रार्थी की माता शारदा सबरवाल के नाम जारी भूखण्ड के नक्शे में ग्राम पंचायत द्वारा नियोजित आदर्श नगर योजना के तहत उक्त भूख्ण्ड संख्या 155 नक्शे में अंकित होना जाहिर किया था। दोनो पट्टे के संलग्न नक्शे में भूखण्ड संख्या का माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सन्दर्भ अंकित नहीं किया है, जबकि एक ही भूखण्ड के दोनो पट्टो के मध्य यह सर्वाधिक मूलभूत फर्क है। इसके अतिरिक्त उक्त निगरानी में तत्कालीन सरपंच द्वारा भूखण्ड पर कब्जा किसका है, इस सम्बन्ध में जांच नहीं किये जाने का उज्र प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के लिया गया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दृष्टिगोचर नहीं किया गया है। तत्कालीन सरपंच ओमप्रकाश दगदी के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायालय द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान तथा पंचायती राज विभाग एवं माननीय संभागीय आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के जरिये ओमप्रकाश दगदी के कार्यकाल में बने पट्टों को निरस्त किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् पाली को प्रेषित आदेश की प्रति भी प्रार्थी द्वारा मूल निगरानी में प्रस्तुत की गई थी, जिस पर न्याायलय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया। जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश के जरिये प्रार्थीया की

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

माता के नाम जारी पट्टे को भी अपास्त किया गया है, जबकि अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अनुतोष चाहा ही नहीं गया था तथा न ही प्रार्थीया की माता के नाम जारी पट्टे की मिसल आदि दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। इस स्थिति में जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश उपान्तरित किये जाने योग्य है। अतः पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार करावें एवं जैर पुनर्विलोकन आदेश को अपास्त किया जाकर प्रार्थीया की माता के नाम जारी पट्टे को बहाल करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डब्ल्यू0एल0सी0 (राज) 2011 पेज 590 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें निवेदन किया कि पुनर्विलोकन याचिका म्याद बाहर है, जो प्रथम दृष्टया काबिल खारिज योग्य है। पुनर्विलोकन याचिका कानून या विधि की त्रुटी निर्णय में प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है, तो प्रस्तुत की जा सकती है। इसमें कोई विधि की त्रुटी आवेदन में अंकित ही नहीं की गई है, इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये, वे रिव्यू का आधार ही नहीं है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट का भी पट्टा निरस्त किया जा चुका है, इस स्थिति में ओमप्रकाश दगदी द्वारा जारी पट्टे के सम्बन्ध में आक्षेप किये गये है, वे पोषणीय नहीं है। न्यायालय द्वारा शारदा सबरवाल का पट्टा निरस्त किया गया है तथा निर्णय में विस्तृत विवेचन किया गया है। शारदा सबरवाल के पति उस समय विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे तथा बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के तथा बिना उच्चाधिकारीयों की अनुमति के अपनी पत्नी के नाम पट्टा जारी किया गया, जो नियम विरूद्ध है तथा पद का दुरूपयोग कर बिना कब्जा होते हुए भी पट्टा जारी करवाया गया। प्रार्थी द्वारा मुख्तियारनामा प्रस्तुत किया गया, उसमें भी अंकित है कि प्लॉट को लोकेट करने हेतु मुख्तियारनामा प्रदान किया गया है। सुनिता धुपड ने न्यायिक कार्यवाही हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अर्द्धन्यायिक प्रकृति का है, शारदा सबरवाल का पट्टा प्रथम दृष्टया नियमों के विरूद्ध जारी होने से खारिज किया गया है, जिसके समस्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किया जा चुका है। अतः पुनर्विलोकन याचिका खारिज योग्य है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त पर मनन किया। जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 20.05.2008, जो मिसल संख्या 51/2007–2008 में जारी पट्टा संख्या 24 को निरस्त कराने का निवेदन किया। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रक्रिया अनुसार सुनवाई की जाकर प्रकरण में दिनांक 08.06.2017 को निर्णय पारित किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर कानूनी रूप से चस्पा होता है, जिसके अनुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भी अपने आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति है। इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1143 नीलकांत व अन्य बनाम उत्तमचन्द व अन्य में यह प्रतिपादित किया कि "नजरसानी की शक्तियों का उपयोग साक्ष्य का पुनः परीक्षण अथवा निर्णय पुनः लिखने हेतु नहीं किया जा सकता है। अभिलेख के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटीयों को ही सही किया जा सकता है।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2005 (1) पेज 545 सुरेन्द्र कुमार वकील बनाम सी0ई0ओ0 एम0पी0 में यह प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 47 नियम 1 – नजरसानी

अति० जिला कलेक्टर, पाली

बिन्दु जो सुना और निर्णीत हो चुका है– निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो सकता है, किन्तु नजरसानी के लिये आधार नहीं हो सकता।" हस्तगत प्रकरण पर उक्त सिद्धान्त पूर्णतः चस्पा होते है। पुनर्विलोकन की परिधी में प्रकरण को नये सिरे से निर्णित नहीं किया जा सकता है एवं जहां तक संभव हो, रिव्यू की आड में निर्णय में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) के तहत सारहीन पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर निगरानी संख्या 07/2015 के नत्थी हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 10/4/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली